

प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - चंदौसी मार्ग (एन० एच० - 509) के कि० मी० चैनेज 34.100 से 41.150 तक बायीं पटरी एवं कि० मी० चैनेज 45.600 से 45.750 तक दायीं पटरी पर गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 0.4323 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या - एफ० एन० 5-3 / 2007 (एफ ० सी० डिवीज़न) दिनांक 5-2-2009 द्वारा 30 वर्षों के लिए वन भूमि हस्तांतरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु नेट प्रेजेंट वैल्यू की दरों के अनुसार धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की धनराशि को टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) वन विभाग उ०प्र० को ई - पेमेंट पोर्टल से उतपन्न ई - चालान के माध्यम से भुगतान कर दिया जायगा।



(प्रभाष कुमार)
प्रबंधक
टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
मुरादाबाद।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
चंदौसी।


(अरविंद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग
सम्भल।

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) सम्बन्धी वचनबादता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - चंदौसी मार्ग (एन० एच० - 509) के कि० मी० चैनेज 34.100 से 41.150 तक बायीं पटरी एवं कि० मी० चैनेज 45.600 से 45.750 तक दायीं पटरी पर गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 0.4323 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु यदि भविष्य में (एन० पी० वी०) दरें संशोधित होती है तो बढी हुई धनराशि देने हेतु सहायक महाप्रबंधक टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद (यू०पी०), वचनबद्ध होगा।



(प्रभाष कुमार)
प्रबंधक
टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
मुरादाबाद।


क्षेत्रीय वनाधिकारी,
चंदौसी।


(अरविंद कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग
सम्भल।